तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अ... हुक्म में ...
	<u>17/12/25</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 21/01/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई	
21/01/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 18/02/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
Sir, पत्रावली में चाही धारा प्रार्थना पत्र में वांछित भूमि के सीमाज्ञान बाबत दि० 18/5/2023 को सीमाज्ञान किया जाना अंकित किया है किन्तु मौके पर्चा सीमाज्ञान नहीं किया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। (हस्ताक्षर) 18/2/2026 NTDR बांदीकुई	<u>18/02/26</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पेशकार सरकार उप०। पेशकार सरकार NTDR बांदीकुई ने प्रकरण की रिपोर्ट आदेशिका पर प्रस्तुत की। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	<u>25/02/2026</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 09/03/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	<u>09/03/26</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पेशकार सरकार उप०। बहस की गयी। बहस श्रवण किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः बहस उभयपक्ष श्रवण करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 LRAct खारिज किया। (हस्ताक्षर)	

4-2000-10 लाख फा

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...लत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

.... बनाम ....

...कदमा .... नं० .... सन् ....

...रीख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो [signature] 9/3/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः— 139 / 2024
प्रकरण दायर दिनांकः—16.12.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः—09.03.2026

उनवान

1. लक्ष्मण दत्तक पुत्र हट्टया जाति मीना निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
:—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई जिला दौसा।
अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट
पत्थरगढी किये जाने बाबत्

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खाता सं. नया 82 पुराना 85 के आराजी खसरा नं. 320 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 346 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं. 358 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 366 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 687/306 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 695/425 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 705/470 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नं. 711/473 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 720/477 रकबा 0.57 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर वाके रामा रामपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खाता सं. नया 82 के स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) नही होने के कारण काश्त के समय सीमाओं को लेकर विवाद होने की संभावना बनी रहती है। प्रार्थी की भूमि के स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) नही होने के कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की स्थायी सुरक्षा दीवार भी नही कर पा रहा है। जिसके कारण आवारा जानवर प्रार्थी की फसल को नष्ट कर देते हैं जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान उठाना पडता है। इस कारण प्रार्थी की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन एवं इंसाफन न्यायोचित है। इस कारण श्रीमान के समक्ष पत्थरगढी का प्रार्थना—पत्र पेश है। प्रार्थी के पडौसी खातेदारान द्वारा दिनांक 18.05.2023 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थी दिनाक 18.05.2023 को किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक ही अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने को तैयार है। कानूनन पडौसी खातेदार के

साथ–साथ ही प्रार्थी की कृषि भूमि खाता सं. 82 की पत्थरगढ़ी किया जाना कानूनन व इन्साफन जरूरी है ताकि सीमाओं को लेकर विवाद की सम्भावना को समाप्त किया जावे और प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा दीवार भी करवा सकें। 4. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार के गांव रामपुरा में स्थित है। इस कारण प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतएव प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी मय शपथ–पत्र पेश कर अर्ज है कि जब प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि खाता सं. नया 82 के आराजी खसरा नं. 320, 346, 358, 366, 687/306, 695/425, 705/470, 711/473, 720/477 वाके गॉव रामपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे तथा अप्रार्थी को पत्थरगढी किये जाने की तहरीर जारी की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस विधिवत की गयी। प्रकरण में दिनांक 18.02.2026 को पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई उपस्थित एवं आदेशिका पर रिपोर्ट पुष्ट की कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वांछित भूमि के सीमाज्ञान बाबत दिनांक 18.05.2023 को सीमाज्ञान किया जाना अंकित किया है किन्तु मौका पर्चा संलग्न नहीं किया है। प्रकरण में बहस प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम रामपुरा खाता सं. नया 82 पुराना 85 खसरा नं. 320 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 346 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं. 358 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 366 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 687/306 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 695/425 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 705/470 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नं. 711/473 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 720/477 रकबा 0.57 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर वाके रामा रामपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार बहस पर मनन करने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की ग्राम रामपुरा खाता सं. नया 82 पुराना 85 खसरा नं. 320 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 346 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं. 358 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 366 रकबा 0.21

हैक्टेयर, खसरा नं. 687/306 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 695/425 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 705/470 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नं. 711/473 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 720/477 रकबा 0.57 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर वाके रामा रामपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा मे प्रार्थी लक्ष्मण दत्तक पुत्र हट्टया का कब्जा हो तथा अन्य किसी दीगर व्यक्तियों का कब्जा नहीं हो तो सीमाज्ञान की कार्यवाही संपादित कर विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

9/3/15

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई